Department of Economics

L.N.D. COLLEGE, MOTIHARI (BIHAR)

(a constitueant unit of B.R.A. University, Muzaffarpur (Bihar)

NAAC Accredited 'B+'

Topic : सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (LAW OF EQUI-MARGINAL UTILITY)

BA Economics Part I MJC/MIC/MDC (Semester I)

Instructor

Dr. Ram Prawesh

Guest Faculty (Department of Economics)

L.N.D. COLLEGE, MOTIHARI (BIHAR)

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (LAW OF EQUI-MARGINAL UTILITY) या गौसेन का द्वितीय नियम (SECOND LAW OF GOSSEN)

या

उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का सन्तुलन (CONSUMER'S EQUILIBRIUM IN UTILITY ANALYSIS)

उपभोक्ता एक विवेकशील (rational) प्राणी है जिसका उद्देश्य है-सीमित आय को उपभोग के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार बाँटना कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि मिले। इस नियम का आधार 'प्रतिस्थापन का नियम' (law of substitution) है जिसके अनुसार उपभोक्ता कम लाभदायक वस्तुओं को अधिक लाभदायक वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित करता है। इस प्रतिस्थापन का यह क्रम सभी उपभोग वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ एकसमान होने तक चलता रहता है। एक उपभोक्ता सन्तुलन की स्थिति तब प्राप्त करता है जब वह अपने कम क्रम में परिवर्तन की स्थिति न रखे। इस स्थिति में उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होगी।

नियम की मान्यताएँ (Assumptions of the Law)

(1) उपभोक्ता की आय सीमित है।

(2) उपभोक्ता अपनी सीमित आय अनेक प्रयोगों (या एक से अधिक प्रयोग) में व्यय करता है। (3) पूर्ण प्रतियोगिता है, वस्तु कीमतें स्थिर एवं दी हुई हैं।

(4) उपभोक्ता विवेकशीलता का व्यवहार करता है जिसमें वह दी हुई आय तथा उपभोग वस्तु की कीमतों के साथ अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है। (5) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता स्थिर है।

(6) सीमान्त उपयोगिता संख्यात्मक रूप से मापनीय है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जा सकता है। सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का कथन (Statement of Law of Equi-marginal Utility)

मार्शल के शब्दों में, "यदि किसी मनुष्य के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है तो वह उसे अनेक प्रयोगों में इस प्रकार बाँटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसकी सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जाए क्योंकि यदि एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा उसे अधिक सीमान्त उपयोगिता मिलती है, तो वह दूसरे से वस्तु की मात्रा हटाकर और उसका प्रयोग पहले में करके लाभ ले सकता है। "1 इस प्रकार यह नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर (अर्थात् दी गई मान्यताओं के अन्तर्गत) उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में व्यय करके उस समय अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त करेगा जब वह अपने व्यय को विभिन्न वस्तु के क्रय पर इस प्रकार विभाजित करता है कि मुद्रा की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता प्रत्येक व्यय के लिए समान हो जाय।

सारणी 4. वस्तु से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता

इकाई	MU_x	MU_y
1	20 (1)	16 (3)
2	18 (2)	14 (5)
3	16 (4)	12 (7)
4	14 (6)	10 (9)
5	12 (8)	8
6	10 (10)	6
7	8	4

यदि एक उपभोक्ता के पास 10 रुपये हैं तथा उपभोग की दोनों वस्तुओं X तथा Y की कीमतें एक रुपया प्रति इकाई है तब वस्तु X तथा वस्तु Y की क्रमिक उपयोगिताओं के आधार पर उपभोक्ता अपने व्यय की क्रमिक इकाइयों को दोनों वस्तुओं पर तालिका 4 के अनुसार कोष्ठक (brackets) में प्रदर्शित क्रम के अनुसार उपभोग करेगा क्योंकि उपभोक्ता अपने सबसे पहले व्यय की जाने वाली मुद्रा की इकाई को X वस्तु के क्रय पर व्यय करेगा क्योंकि X वस्तु की पहली इकाई 20 उपयोगिता देती है जबकि Y वस्तु की पहली इकाई 16 उपयोगिता देती है। इसी प्रकार उपभोक्ता अपने व्यय की दूसरी इकाई को भी वस्तु X पर ही खर्च करेगा क्योंकि X वस्तु की दूसरी इकाई की उपयोगिता भी X वस्तु की पहली इकाई की उपयोगिता से अधिक है। अब जब उपभोक्ता मुद्रा की तीसरी इकाई व्यय करने चलता है तब वह X वस्तु की तीसरी इकाई का चयन न करके Y वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करेगा, यद्यपि इन दोनों की सीमान्त उपयोगिता बराबर (अर्थात् सोलह- सोलह) है। ऐसा उपभोक्ता इसलिए करता है क्योंकि दोनों की उपयोगिता बराबर होते हुए भी उपभोक्ता Y वस्तु के उपभोग के लिए X की तुलना में अधिक आसक्त होगा क्योंकि वह X की दो इकाइयों का उपभोग पहले ही करके X वस्तु के उपभोग की तीव्रता को कुछ कम कर चुका है

उपभोक्ता अपनी व्यय की इकाइयों को सारणी में व्यक्त व्यय क्रम के अनुसार खर्च करता हुआ उस दशा में सन्तुलन को प्राप्त करता है जब उपभोग की दोनों वस्तुओं की अन्तिम इकाई से प्राप्त उपयोगिताएँ आपस में बराबर हो जायें। इस प्रकार सन्तुलन की दशा में उपभोक्ता X वस्तु की 6 इकाइयाँ तथा Y वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदेगा। व्यय के किसी और संयोग का चयन करने पर उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में कमी होगी।